


न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर ॥०१०॥
सर्चिट कोर्ट रीव्यू ५०१०



Reestr 1000 - 5114

28
13-2-14

दिनेन्द्र द्विवेदी पिता श्री रघुवर प्रसाद द्विवेदी उम्र 42 वर्ष, पेशा छेती नि
हनुमानगढ़, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी ५०१० --- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

- श्री. श्यामलाल पत्नी रामकृष्णलाल जायसवाल उम्र 60 वर्ष,
 - 2. रामनिवासी उम्र 40 वर्ष, श्री. सश्री के पिता रामगोपाल जायसवाल निवासी
 - 3. बिरबल उम्र 25 साल, श्री. ग्राम हनुमानगढ़ तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी
 - 4. रामवली उम्र 20 वर्ष, श्री. ५०१०
- अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब
तहसीलदार प्लेट हनुमानगढ़ तहसील रामपुर नैकिन के
राजस्व प्रकरण क्र. 42अ27/11-12 आदेश दिनांक
28/11/2012

आवेदन पत्र अन्तर्गत जु. 5/13/11 ५०१० भू-राजस्वसंहिता
अध्याय 10 में आरिज प्रकरण को पुनः नम्बर पर
लिये जाने बावत् दि. 12/8/2013

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

॥ यह कि उपरोक्त उन्मान प्रकरण से सम्बन्धित निगरानी आवेदक द्वारा
मान्य न्यायालय के समक्ष दाखल की गई थी और उक्त निगरानी श्रीमान्जी
द्वारा पंजीकृत की गई थी। और अनामत रिपोर्ट की तलवी दि. 12. व
14-8-2013 को सुनवाई हेतु नियत थी। परन्तु किन्ही कारणों वश उक्त
प्रकरण को दि. 12/8/2013 को अदम पेशवी में निरस्त कर दिया गया और
प्रकरण की सुनवाई नहीं की गई जबकि आवेदक अधिवक्ता उक्त तारीख को
हाजिर था और आदेश हेतु कहा गया था तब से लेकर आज तक प्रकरण की
सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ता करता रहा कल दिनांक 12/2/2014 को जब
श्रीमान् जी के कर्मचारी शिवा आये तो प्रकरण का पता किया तो बोलें की
2662 में प्रकरण अदम पेशवी में निरस्त कर दिया गया है डी. डी. लिखा गया है।
और प्रकरण ग्वालियर में है। इसवजह से उक्त प्रकरण को ग्वालियर से मंगवा
कर सुनवाई हेतु नम्बर में लेते हुए सुनवाई किया जाना उचित व न्यायसंगत है।
अतः आवेदक को न्याय मिलने के अन्तर्गत आवेदक न्याय से वंचित ही जायेगा।
दिनांक: - 12/2/2014

ता. 13-3-14

Handwritten signature/initials.

दिनेन्द्र द्विवेदी
रावेन्द्र शिवारी प्र. ५०१० रीवा ५०१०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

शेखरे
प्रकरण क्रमांक..... 1002/11/14..... जिला ... सीधी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 4-9-15 | <p>प्रकरण में आवेदक आर्मी उपस्थित। आर्मी 405 आर्मी 600 का आवेदन पत्र प्रकरण को च्यापलय द्वारा अर्जादारी करे कास्ट को वापिस करते हुए शेखरे प्रकरण को समाप्त करे का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसे ज्ञात गया कि मूल प्रकरण 1662/11/13 अर्जादारी में लापता किया गया था जिसे पुनर्स्थापित करे का आवेदन पत्र प्रकरण विचारणीय था जिसे वापिस लेने एवं इसी ताल पर समाप्त करे का निवेदन किया गया। प्रकरण में कास्ट पुनर्स्थापित करे हेतु अर्जादारी की। प्रकरण लेखा से आवेदक का वापिस लिया जा रहा है इसी दशा अर्जादारी कास्ट वापिस करे का प्रावधान न होने से कास्ट वापिस करे का निवेदन आवेदक को किया जाता है तथा प्रकरण को पुनर्स्थापित न करे का निवेदन आवेदक को किया जाता है। प्रकरण उक्त आदेश के साथ इसी ताल पर समाप्त किया जा रहा है। पक्षकार सूचित है।</p> | <p>(हस्ताक्षर)</p> |